न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –37/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00094

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. श्रीमति भगवती बाई पत्नि घांसी जाति मेघवाल निवासी जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––अप्रार्थी.

जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित–
1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 14 /05/2024

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थीया को ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 3468 /2630 रकबा 0.40 हे0, भूमि दिनांक 11.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया किया गया । अप्रार्थीया उपस्थित । अप्रार्थीया द्वारा दिनांक 30.11.2016 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थीया की ओर से अभिभाषक श्री अजय श्रृंगी का वकालतनामा पेश हुआ । किन्तु अप्रार्थीया एवं वकील अप्रार्थीया काफी लम्बे समय से लगातार अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीया के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीया को ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर नम्बर 3468 /2630 रकबा 0.40 हे0, भूमि दिनांक 11.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से जाहिर होता है कि उनके द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जा रही है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

4. अप्रार्थीया द्वारा दिनांक 30.11.2016 को प्रस्तुत अपने जवाब में कथन किया है कि आवंटित भूमि पर वह काबिज काश्त है किन्तु कब्जा काश्त करने की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत नहीं किये है ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थीया को ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर नम्बर 3468 /2630 रकबा 0.40 हे0, भूमि दिनांक 11.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीया द्वारा जवाब प्रस्तुत करने उपरान्त निरन्तर अनुपस्थित चल रही है तथा जवाब के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे कब्जा काश्त करने की पुष्टि हो सकें । इससे यह जाहिर होता है कि आवंटी द्वारा उनको आंवटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 3468 /2630 रकबा 0.40 हे0, भूमि दिनांक 11.06.2002 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

7. निर्णय आज दिनांक 14.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा